क्षेत्रीय कार्यालय,
REGIONAL OFFICE,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
सोनभद्र
SONBHADRA

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्याः– Ref.No.: G/0646/OA NO-592/2024

दिनांकः– Date: 08/07/2024

To,

The Registrar,
Hon'ble National Green Tribunal,
Copernicus Marg,
New Delhi.
E-mail-judicial-ngt@gov.in

Sub:- Submission of status report in pursuant to order dated 22.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of Original Application No. 592/2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलो में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024.

Sir,

In Compliance of Hon'ble NGT order dated 22.05.2024 in the matter of O.A. No. 592/2024, News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024, the status report is being filed herewith.

It is requested that the aforesaid status report may be presented before the Hon'ble Tribunal for kind consideration.

Encl.: As above.

Yours faithfully,

08/07/2024
(U.K. Gupta)
Regional Officer
Sonbhadra.

Endt. No. & date as above.
Copy to:-

1. District Magistrate, Sonbhadra for kind information please.
2. Chief Environmental Officer (Circle-2), U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information & necessary action please.
3. Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for kind information and necessary action please.
4. Shri Pradeep Mishra, Advocate, Supreme Court, 138, New Lawyer's Chamber, Supreme Court of India, New Delhi-110001.

Regional Officer
Sonbhadra.

Status Report in pursuant to order dated 22.05.2024 passed by Hon'ble NGT in the matter of OA No. 592/2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024

1. Hon'ble NGT vide its Order dated 22.05.2024 on Original Application No. 592/2024 in the matter of News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला " appearing in newstrack.com dated 24.03.2024, instructed the following:-

"........6. Hence, we implead the following as respondents in the matter:

(i). Ministry of Environment, Forest and Climate Change Regional Office Lucknow, Through its Deputy Director General Integrated Regional Office KendriyaBhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow - 226020.

(ii). Uttar Pradesh Pollution Control Board, Through its Member Secretary BuildingNo. TC-12V VibhutiKhand, Gomti Nagar Lucknow-226 010

(iii). Central Pollution Control Board, Through its Member Secretary PariveshBhawan, East Arjun Nagar, Delhi-110032.

(iv). District Magistrate, Sonbhadra DM Office, Lodhi Sonbhadra231216 Uttar Pradesh, India.

7. Let notice be issued to the above respondents-3

8. Same issue is pending before the Tribunal in O.A. No. 176/2022. Hence, the office is directed to list this O.A. along with O.A. No. 176/2022 on 11.07.2024..."

2. Hon'ble NGT vide its Order dated 17.10.2023 on Original Application No. 176/2022 in the matter of Aman Chaudhary versus Union of India &Ors, instructed the following:-

"........15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time.

3. For complying of above order dated 17.10.2023 in the matter of OA 176/2022, UPPCB has already issued closure orders to 08 mining leases of District-Sonbhadra under section 31-A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (as amended) vide letters dated-10.01.2024. The details of mining leases and closure orders copy are attached herewith and marked as Annexure-1.
4. In order to ensure the compliance of closure orders issued to 08 mining leases by UPPCB vide letter dated 10.01.2024, District Magistrate, Sonbhadra has directed to Mining Officer, Sonbhadra and Sub-Divisional Megistrate, Obra/ Robertsganj, District-Sonbhadra vide reference no. G0633/OA-592/ 2024 dated-01.07.2024 for effective compliance of closure orders. Copy of letter dated 01.07.2024 is attached herewith and marked as (Annexure-2).

The above additional information is being filed for the kind perusal and consideration of this Hon'ble Tribunal.

08/07/2024

Dated: 08.07.2024

(U.K. Gupta)
Regional Officer
U.P.P.C.B
Sonbhadra

Annexure No.1

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024 ***Dated:*** 10-01-2024

Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District-Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha.

यह कि Smt. Binduwati Devi /o hri Ram Chandra Ratna, R/o- Village- Bijri Harhua, Churk, District-Sonebhadra, U.P Proposed of "Sand Stone (Khanda, Gitti & Red Morrum) Mine" Project at Gata No.-52, at Village- Sirsiya Thakurai, Tehsil- Robertsganj, District- Sonebhadra, U.P., Leased Area -5.0 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"...... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पयावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: ***H05469*** /सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024 ***Dated:*** 10-01-2024

Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District-Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone",(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District-Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha

यह कि Shri Gyanendra Tripathi, Add.- Ward No.- 21, Ashok Nagar, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed Project of "Dolo Stone",(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 7536 Ga Mi, Khand No.- 02, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Leased Area -4.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"...... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

/

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024 **Dated:** 10-01-2024

Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra,U.P. Lease area 1.670 ha.

यह कि Ajay Kumar Singh S/o Shri Baijnath Singh, M/a A.K.S. Industries 514/15, Ambrosiya Apartment, Lanka, Distt: Varanasi., Proposed 'Granite (Gitti & Boulder) Mine Project at Gata no. 2Ga, Village Jata Juwa, Tehsil Dudhi, Distt: Sonbhadra,U.P. Lease area 1.670 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"...... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

***Ref. No:* H05469 /सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024** ***Dated:* 10-01-2024**

Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8. Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha

यह कि Shri Ajay Kumar Singh S/o Late Shri Onkar Nath Singh, R/o-18/188, Ayappa Temple, Sector-8. Obra, Tehsil-Obra, Distt-Sonbhadra (U.P), Proposed for "Billi Markundi Building Stone Gitty/Boulders Dolostone Mining Project (Khand-4)" at Gata no./ Arazi No. 7536 Ga. Mi, near Village - Billi Markundi, Taluka: Obra, District: Sonbhadra, Uttar Pradesh, Area - 4.0 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"...... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

/

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पयावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024 **Dated:** 10-01-2024

Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.- 4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., (Area : 5.880 ha.)

यह कि Shri Arun Singh Yadav, R/o- Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., M/s Shri Mahadev Enterprises, Proposed Project of Building Stone (Gitti/ Boulder (Dolo Stone)), in Gata No.- 4949 Kha, Village-Billimarkundi, Tehsil- Obra, District- Sonbhadra, U.P., (Area : 5.880 ha.) जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"...... *15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......*"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पयावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: ***H05469*** /सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024 ***Dated:*** 10-01-2024

Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District- Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering , Lease Area: 18.215 ha

यह कि Shri Abhishek Kumar Singh S/o Arvind Kumar Singh, R/o- Village & Post- Chhitauni, District-Varanasi, U.P., M/s Unnti Engineering, Proposed River Bed Sand/ Morrum Mining Project from Son River located at Gata No.- 221 Cha, Village- Sasnai, Tehsil-Obra, District-Sonbhadra, U.P., M/s Unnti Engineering , Lease Area: 18.215 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:–

"......15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते है:–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 /सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024 **Dated:** 10-01-2024

Shri Rajeev Kumar Sharma,R/o- 59- Chakarpuri Paper Mil Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,,Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araji No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil –Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha.

यह कि Shri Rajeev Kumar Sharma,R/o- 59- Chakarpuri Paper Mil Colony Near Metro City Nishatganj Mahanagar Lucknow,,Uttar Pradesh, Proposed for Mining of Gitti Boulder (Dolo Stone) Mining Lease Area at Araji No:-4478 Chha, Village-Billimarkundi, Tehsil –Obra District-Sonbhadra , Uttar Pradesh, Area 1.80 ha. जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"...... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No: H05469 */सी–2/एन0जी0टी0–66/बंदी आदेश/2024* **Dated:** 10-01-2024

Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha

यह कि Shri Amit Mittal, Add.- 61, Bari Dala, Dala, Tehsil- Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, Proposed "Dolo Stone"(Gitti, Boulder) Mine Project located at Araji No.- 5593 ka, Khand No.- 08, Villlage-Billimarkundi, Tehsil-Robertsganj, District- Sonbhadra, U.P, M/s Amit Enterprises, Leased Area -4.230 ha जिसे आगे इकाई कहा जायेगा। उपरोक्त वर्णित स्थल पर इकाई द्वारा खनन का कार्य किया जाता है, जिसके लिये राज्य बोर्ड से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.10.2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् हैः–

"...... 15. The Director Geology and Mining Department, Uttar Pradesh, the District Magistrates and the Superintendent of Police in the State of Uttar Pradesh are directed to ensure that no mining is allowed to commence or continue without obtaining of CTE/CTO from UPPCB as the case may be which fact has to be verified by them with reference to the information uploaded by UPPCB on its website from time to time. ......"

यह कि मा0 एन.जी.टी. द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में राज्य बोर्ड के पत्र दिनॉक 20.10.2023 के माध्यम से आपके खनन पट्टे के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस दिनांक 20.10.2023 में दी गयी अवधि व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी इकाई द्वारा उक्त संदर्भित कारण बताओ नोटिस का कोई प्रतिउत्तर नही दिया गया और न ही राज्य बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सी.टी.ई./सी.टी.ओ. प्राप्त किये जाने के संबंध में निवेश मित्र पोर्टल पर आवेदन किया गया है। इकाई का उक्त कृत्य जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा–25 एवं वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–21 का उल्लंघन है। उक्त के दृष्टिगत जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपकी इकाई के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए के अर्न्तगत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आपकी इकाई के विरूद्ध निम्न बन्दी आदेश निर्गत किये जाते हैः–

1. आपकी इकाई के समस्त उत्पादन/संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपकी इकाई को मिलने वाली खनन अनुज्ञा/पट्टा तथा पर्यावरणीय स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

/

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भू–तत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तर प्रदेश, खनिज भवन, लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, पर्यावरण निदेशालय, विनित खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सोनभद्र।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त सोनभद्र।
5. जिला खान अधिकारी, सोनभद्र।
6. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, नोडल आई.टी., उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सोनभद्र।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त–2)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

Annexure No.2

कार्यालय जिलाधिकारी, सोनभद्र

पत्रांक–G0 633/OA NO-592/2024 दिनांक– 01/07/24

आदेश

1. प्रभारी अधिकारी, (खनन), सोनभद्र।
2. उपजिलाधिकारी, ओबरा/राबर्ट्सगंज, सोनभद्र।
3. खान अधिकारी, सोनभद्र।

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या–**592/2024 News Item titled "Sonbhadra फाइलों में सिमटा यूपीपीसीबी का वायु प्रदूषण नियंत्रण, जानें पूरा मामला" appearing in newstrack.com dated 24.03.2024** दिनांक–22.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–176/2022 अमन चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–17.10.2023 के अनुपालन में जनपद–सोनभद्र के 08 पत्थर खनन परियोजनाओं के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के विभिन्न पत्रों दिनांकित 10.01.2024 द्वारा बन्दी आदेश जारी किये गये है, जिनकी सूची एवं छायाप्रतियां संलग्न है।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में उक्त प्रकरण में आच्छादित प्रश्नगत 08 पत्थर खनन परियोजनाओं की अविलम्ब बन्दी सुनिश्चित/खनिज का खनन/परिवहन कार्य प्रतिबन्धित कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। उक्त की सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किये जाने वाले पत्रालेख के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करें। मा0 एन0जी0टी0 में उक्त प्रकरण की अग्रिम सुनवाई दिनांक–11.07.2024 नियत है।

1.7.24

(चन्द्र विजय सिंह)
जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

पत्रांक व तद्दिनांकः–

प्रतिलिपिः– सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, टी0सी0 12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।